

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>दिये जाने की हस्तपुस्तक करने पर हस्त लिखायत के द्वारा आवक दिवस गया कि अगामी तारीख पर साख पैस नहीं होने की दशा में साख जारी इंतज रने के लिय समझी जायेगी। जिसका जोर सम्पूर्ण साख जारी दिवस ७-५-२१ को पैस करेगा</p>
<p>७-५-२१</p>	<p>सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर</p> <p>पञ्चवली पैस हुई। कमीस वदी व पैसकाद राज इपल्लिम है। साख का आवक नही गया। पञ्चवली के अवलोकन के लिय है कि वहीगण को साख समुदाय पैस करने के सम्बन्धित आवक दिये जाने के उपरान्त की दिनांक २४/१०/२०२० को उपलिप्त आवक, दिनांक १०/१२/२०२० को अगला सन्द की लिखायत पर</p>

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

लगा बकील जादी की
 इरुदुडा पर दिनांक 3/2/2021,
 10/2/2021 को चयनित
 के लया दिनांक 3/3/2021
 को इस विद्वान पर
 आवहार दिया गया कि
 आगामी लारीय पर आपस
 पैदा नहीं होने की वशा
 के कारण जादी हदुद
 हने के लिये सन्ध समझौ
 जायेगी। इस के उपलब्ध
 और बारीगण व इनके
 जवाह आज अनुपस्थित
 हैं। प्रकरण दिनांक 2013
 के अन्तर्गत दिनांक 2/1/2013
 आपस सन्ध पैदा करने के
 अन्तर्गत करने से वह
 प्रकरण अद्य इसलिये
 अन्तर्गत बारीगण के अन्तर्गत
 किया गया है। अनुहार
 रिडी पनी मुजिले हो।
 पञ्चवली सुमार कबल बिकर
 दाशिवल इफरर रहे।
 आदेश आज दिनांक 7/4/2021
 को सुनी अदालत में
 हुनाया गया। 6



सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बदगोरे
 जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर

बड़जलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या-03/2013

रामगोपाल, शिवराज, शम्भुलाल पिता लक्ष्मणदास बैरागी, श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मणदास बैरागी निवासीयान बारणी तहसील आसीन्द।

-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार आसीन्द

-प्रतिवादी

प्रेषिति:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 136 एल.आर.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री मुनीरगनी शेख प्रतिवादी की ओर से परोकारराज की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.4.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी अदम शहादत सबूत में खारिज किया जाता है।

और इसके वाद के खर्च लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें। यह आज तारीख 07.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



97
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाडा

वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	07	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील		00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प		00			
योग	11	00		00	00